

12/3/22

पत्रावली 1श हुई। वकील वादी उ रास्थन है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 20/8/22 में भेजा है। वकील शर्मा कोष अधीन में कड़ीयत लक्ष्मी देव तलवाणा - कोष अधीन में वेसा को। निष्पत्ति की कोष अधीन में आता है। अतः वकील कोष अधीन में अतः किया जाना है।

30/8/22

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक सच द्वारा वकील स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 20/9/22 को पेश दो।

20/9/22

पत्रावली 1श हुई। वकील वादी उ रास्थन है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 3/11/22 में भेजा है।

श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपलब्ध अधिकारी जोबसेर को प्रेषित की / जाती है।

3/11/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पक्षीर हुए हैं। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 11/01/23 को पेश की।

11/01/2023

पत्रावली पेश की। जमी एवं जमी अधीन द्वारा CPC के आदेश 39 नियम 2A के अन्तर्गत जांचना पत्र जाहू लीफाण दिनांक 17/9/22 के अधीन में लक्ष्मी देव तलवाणा सम्मान पेश कले हुए निम्न अवसर दिनांक पर है, परन्तु जमी एवं जमी अधीन द्वारा न्यायालय आदेश की अनुपालना में अधीन में लक्ष्मी देव तलवाणा सम्मान उद्घृत नहीं किया गये हैं। जमी एवं जमी अधीन को न्यायालय में उपस्थित होते हुए एवं न्यायालय के पूर्व


11/01/2023 जगता -

फर्द अहकाम

बनाम

आयालय

ख्या

दिनांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक विद्वान
		<p>आदेशों की अनुपालना में तलबाना सम्मान पेश करने हेतु बार-बार प्रार्थना की गयी, परन्तु न्यायालय समझ 5.40 P.M. तक जर्नी एवं जर्नी अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। अतः न्यायालय आदेश की अनुपालना में सम्मान तलबाना पेश नहीं किया जाने के कारण सिविल जजिस लाहौर के आदेश 3 नियम 5 के अन्तर्गत जर्नी या जर्नी पर आदेश किया जा रहा है। निर्णय पुस्तक न्यायालय में पुस्तक प्रशासकी लाल शुभाह होकर नम्बर से कम ही बच्चा दाखिल करवा है।</p> <p style="text-align: right;">  11/01/23 </p>	